



कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नगर पालिका बहरोड (अलवर)

फोन व फैक्स : 01494-220090

behror.jaipur@gmail.com

क्र.पा.ब./2020/143

दिनांक: 11.11.2020

अग्निशमन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल नारनौल रोड बहरोड जिला अलवर का मौका निरीक्षण दिनांक 01.11.2020 को किया गया। जिसमें निर्धारित स्थानों पर फायर सिस्टम लगे हुये एवं सही अवस्था/कार्यरत अवस्था में पाये गये। अतः निम्न शर्तों की पालना के निर्देश देते हुये अग्निशमन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

- 1 किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
- 2 किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की जिला प्रशासन अलवर/नगर पालिका बहरोड प्रशासन होगा।
- 3 हाईड्रेंट सिस्टम लगाना सुनिश्चित करे एवं नेशनल बिल्डिंग कोड सभी फायर सिस्टम का संधारण करे।
- 4 प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट mock ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर पालिका बहरोड को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एवं mock ड्रिल के नगर पालिका के अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जावेगा।
- 5 किसी भी प्रकार का नगर पालिका कर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- 6 समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
- 7 किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
- 8 किसी भी प्रकार की लूज विधुत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
- 9 आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- 10 अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
- 11 समय-समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की भी पालना करनी होगी।
- 12 फायर NOC की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 10000 रुपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
- 13 यह प्रमाण-पत्र दिनांक. 27/03/2020 से. 31/03/2021 तक मान्य होगा।


सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका बहरोड
नगरपालिका बहरोड